HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3881/2024

Dr. Gurdeep Singh S/o Shri Gyan Singh

----Appellant

Versus

State of Rajasthan & Others

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Girraj Prasad Gadhwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Maharshi, Adv. Mr. Nitish Bagri, Adv. Mr. Rivyesh Maheshwari, Adv. Mr. Ja Vardhan Joshi, Adv. Mr. Abhiuday Karan Barwar, Adv. For Mr. Narendra Singh Yadav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

20/09/2025

अपीलार्थी / वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 2 / 2025 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी / वादी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.07.2024 के द्वारा उनके आवेदन अंतर्गत आदेश 33 सिविल प्रक्रिया संहिता अनुमति बाबत पेश करने वाद बतौर निर्धन व्यक्ति आदेश 33 नियम 5(ख)(घ)(च) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वर्णित आधारों पर नामंजूर किया जाकर खारिज कर दिया। अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 4 डॉ. एन.एस. पुरोहित की दिनांक 27.08.2025 को मृत्यु हो गयी, इस कारण प्रार्थना पत्र में अंकित प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधि, उनकी पत्नी व पुत्र को रिकॉर्ड पर लिया जावे। प्रार्थना

पत्र अंदर मियाद है। प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से किसी के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है, अतः दूसरे पक्षकारान को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद क्षतिपूर्ति नुकसान और मानहानि का पेश किया था। अब वाद लाने का अधिकार अपीलार्थी/वादी को नहीं है, क्योंकि उसका वाद आदेश 33 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वाद चलाने का अधिकार नहीं रहा है। ऐसे में प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विनिश्चय प्रस्तुत किये गयेः–

1. Melepurath Sankunni Ezhuthassan Vs. Thekittil Geopalankutty Nair; MANU/SC/0009/1985
2. Om Sharan Vs. Banshidhar and Ors.; MANU/RH/0246/1981

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–9, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.07.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का आवेदन बाबत वाद बतौर निर्धन व्यक्ति प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश 33 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधारों पर अस्वीकार कर खारिज किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में

मानहानि या क्षतिपूर्ति का वाद पोषणीय नहीं हो, यह इस स्तर पर अवधारित नहीं किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांत इस प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण प्रत्यर्थीगण को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025 स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

संशोधित वादशीर्षक पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधियों को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /26